संख्या-46/2024/393/18-2-2024/18-2099/116(ल0उ0)/2022

प्रेषक

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।
3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 01 अक्टूबर, 2024

विषय :- उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति - 2022 में संशोधन/परिवर्द्धन के संबंध में।

महोदय,

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन्हें प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जाने तथा प्रदेश में अधिकाधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति - 2022 का प्रख्यापन किया गया है। उक्त नीति में सम्यक विचारोपरान्त नीति के प्रस्तर-4 में संशोधन/परिवर्द्धन किये जाने का निर्णय लिया गया है। अब नीति के प्रस्तर-4 (परिभाषाएं) के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश की तालिका के अंतिम बिन्दु प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण (कार्यशाला एवं संयंत्र) को निम्नवत पढ़ा जाये:-

<u>प्रस्तर–4 (परिभाषाएं)</u>

उक्त प्रस्तर में स्थायी पूंजी निवेश की तालिका के अंतिम बिंदु प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण (कार्यशाला एवं संयंत्र) के अंतर्गत प्लांट और मशीनरी में सम्मिलित व्यय में अंतिम पंक्ति "डीजल जनरेटर सेट्स और बायलर" के स्थान पर "जनरेटर सेट्स और बायलर" पढ़ा जाये।

2- उपर्युक्त संशोधन के प्राविधान वर्तमान में प्रचलित "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति - 2022" पर प्रवृत्त होंगे। उक्त संशोधन/परिवर्द्धन के अतिरिक्त नीति में वर्णित शेष प्राविधान/नियम व शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशानुसार नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को शासनादेश अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
8- समस्त संयुक्त आयुक्त, आयुक्त, उद्योग/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पुष्पेंद्र सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।